

परिक्षिष्ट - बी-1

अध्यक्ष, भर्ती एवं चयन समिति, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय
अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, छ0ग0
सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पद हेतु प्राप्त आपत्ति आवेदनों का निराकरण

क.	अभ्यर्थी का नाम	आवेदित पद का नाम	लिखित परीक्षा हेतु विचार किये जाने के लिये अयोग्य पाने का कारण	प्राप्त आपत्ति का निराकरण	रिमार्क
1	कु0 तारा भगत	सहायक ग्रेड-3	आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में स्वप्रमाणित हस्ताक्षर नहीं किया गया है ।	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका-5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका-5 की उप कंडिका-3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
2	मायावती	सहायक ग्रेड-3	आवेदन के साथ संलग्न फोटो स्वप्रमाणित नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका-5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका-5 की उप कंडिका-6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी	

				के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
3	पंकज पैकरा	सहायक ग्रेड-3	दस्तावेजों में स्वप्रमाणित नहीं किये जाने एवं आवेदन पत्र में हस्ताक्षर नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कडिका-5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कडिका-5 की उप कडिका-3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
4	प्रतिभा सिंह	सहायक ग्रेड-3	निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने एवं घोषणा पत्र में हस्ताक्षर नहीं करने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कडिका-5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कडिका-5 की उप कडिका-3 में आवेदन के साथ स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है तथा उप कडिका-9 में त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आवेदन को निरस्त माना जावेगा, का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन की घोषणा में अपना हस्ताक्षर नहीं किया गया है, जिसका	

				पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
5	मंगली सिंह	सहायक ग्रेड-3	डाक के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका-5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका 5 की उपकंडिका 2 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ई-मेल एवं फैक्स के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । चूंकि, अभ्यर्थी ने डाक के माध्यम से आवेदन प्रेषित किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
6	मनोज सिंह	सहायक ग्रेड-3	आवेदन पत्र में फोटो स्वप्रमाणित नहीं किया गया है ।	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका-5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका-5 की उप कंडिका-6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चरप्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	

7	नीरा टोप्पो	सहायक ग्रेड-3	अभ्यर्थी को अनुसूचित जनजाति दिव्यांग श्रेणी में न रखते हुये अनुसूचित जनजाति श्रेणी में रखे जाने के कारण	अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उसके अनुसार उसे 20 प्रतिशत का दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिया गया है, शासकीय सेवा हेतु दिव्यांगता के अंतर्गत 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है, चूंकि अभ्यर्थी के दिव्यांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से कम है, अतः उसे अनुसूचित जनजाति की दिव्यांगता की श्रेणी में न रखा जाकर, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लिखित परीक्षा हेतु विचार किये जाने योग्य सूची में रखा गया है । अतः अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति उपरोक्त आधार पर निरस्त किया गया ।	
8	सतीश कुमार सिंह	सहायक ग्रेड-3	घोषणा पत्र में हस्ताक्षर नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका-5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका-5 की उप कंडिका-9 में त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आवेदन को निरस्त माना जावेगा, का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन की घोषणा में अपना हस्ताक्षर नहीं किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	

9	शिवत्री पैकरा	सहायक ग्रेड-3	घोषणा पत्र में हस्ताक्षर नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका-5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका-5 की उप कंडिका-9 में त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आवेदन को निरस्त माना जावेगा, का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन की घोषणा में अपना हस्ताक्षर नहीं किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
10	सूरजमनी	सहायक ग्रेड-3	फोटो एवं दस्तावेजों में स्वप्रमाणित हस्ताक्षर नहीं है तथा रोजगार पंजीयन प्रस्तुत नहीं करने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका-5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका-5 की उप कंडिका-3 में आवेदन के साथ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है तथा उक्त कंडिका-5 की उप कंडिका-6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चरपा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया	

				गया है ।	
11	अकिता कुजूर	सहायक ग्रेड-3	फोटो स्वप्रमाणित नहीं किया गया है ।	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका-5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका-5 की उप कंडिका-6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
12	आसिशन मिंज	सहायक ग्रेड-3	दस्तावेजों को स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका-5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका-5 की उप कंडिका-3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
13	जयप्रिता	सहायक ग्रेड-3	फोटो स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका-5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का	

				उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका-5 की उप कंडिका-6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
--	--	--	--	---	--

30.10.2026

अध्यक्ष, भर्ती एवं चयन समिति,
अंबिकापुर/विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज),
अंबिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)